कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)

Phone No. And Fax No.-0771-2426831 E-Mail- actd.raipur@nic.in

क./न.क्र.–64/आदि.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2021–22/ 2697 रायपुर दिनांक 18/01/2022

प्रति,

सर्व कुलसचिव/प्राचार्य/अधिष्ठाता,
शासकीय/अशासकीय .... महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु तिथि में वृद्धि किये जाने बावत्।**

सन्दर्भ :– **आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र कमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./123/2021–22/7664 नवा रायपुर दिनांक 14.01.2022**

*****

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे रायपुर जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि प्रचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखतें है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021–22 हेतु ऑनलाईन पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है। छ.ग. राज्य में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारम्भ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नही होने के फलस्वरूप तिथि में वृद्धि की जा रही है।

अतः जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है:–

क्र	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवनीकरण)	दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 24.01.2022
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 25.01.2022 तक
	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 27.01.2022 तक
	Disburse शासकीय/अशासकीय	दिनांक 29.01.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2021–22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृति नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock अथवा Disburse करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायपुर

क्रमशः–2

E:\ACTD\All Letter\Office latter1

पृ.क./न.क.–64/आदि.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2021–22/2698 रायपुर दिनांक 18/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. **स्टेनो टू कलेक्टर,** जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायपुर